



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-410 राँची, बुधवार,

11 अगस्त, 2021 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2021

एस० ओ० -1-दिनांक- 27 जनवरी, 2021-झारखण्ड राज्य में चुने गये सांसदों/विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य सरकार, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से हजारीबाग, दुमका, डाल्टेनगंज एवं पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में जिला न्यायाधीश कोटि के 01-01 एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के 01-01 तथा राँची एवं धनबाद में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के 01-01 विशेष न्यायालय का गठन करती है, जिनका क्षेत्राधिकार निम्नरूपेण है:-

क्रम सं०	न्यायमंडल का नाम जहाँ विशेष न्यायालय का गठन किया गया है	क्षेत्राधिकार
1.	राँची	राँची, खूँटी, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा।
2.	धनबाद	धनबाद, गिरिडीह एवं बोकारो।

3.	हजारीबाग	हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा।
4.	दुमका	दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा एवं गोड्डा।
5.	डाल्टेनगंज	डाल्टेनगंज (पलामू), गढ़वा, लातेहार।
6.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावाँ।

2. इसके अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्टि के न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश/ आदेश के विरुद्ध संबंधित जिला न्यायमंडल में इस हेतु जिला न्यायाधीश कोर्टि के न्यायालय को अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
3. तदनुसार विधि विभागीय अधिसूचना सं०-1899, दिनांक-27.09.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को उन्हें आवंटित अन्य कार्यों के साथ उपरोक्त मामलों से संबंधी सुनवाई/निष्पादन करेंगे।
5. यह अधिसूचना तत्काल रूप से प्रभावी होगी।

(बी०/विधि-कोर्ट गठन-19/2018-105 /जे०)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

एस० ओ० -1-दिनांक-27 जनवरी, 2021- निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी०/विधि-कोर्ट गठन-19/2018-105 /जे०)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

NOTIFICATION

27th January, 2021

S.O.-1—Dated 27th January, 2021-- The State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, is pleased to create 01 (One) Special Court of the rank of District Judge & 01 (One) Special Court of the rank of Civil Judge (Jr. Division) each in Hazaribagh, Dumka, Daltonganj and West Singhbhum (Chaibasa) and 01 (One) Special Court of the rank of Civil Judge (Jr. Division) each in Ranchi and Dhanbad for speedy disposal of criminal cases involving elected MPs/MLAs of the State of Jharkhand, the jurisdictions of those shall be as follows:-

Sl. No.	Name of the Judgeships, where Special Courts are created	Jurisdictions
1.	Ranchi	Ranchi, Khunti, Lohardaga, Gumla & Simdega.
2.	Dhanbad	Dhanbad, Giridih & Bokaro.
3.	Hazaribagh	Hazaribagh, Ramgarh, Chatra & Koderma.
4.	Dumka	Dumka, Deoghar, Pakur, Sahibganj, Godda & Jamtara.
5.	Daltonganj	Daltonganj (Palamau), Garhwa & Latehar.
6.	West Singhbhum (Chaibasa)	West Singhbhum, East Singhbhum & Saraikela-Kharsawan.

- The Special Courts in the rank of District Judge, shall also exercise the power of the Appellate Court against the Judgement/Order of the Special Court of the rank of Civil Judge (Jr. Division).
- Accordingly, Law Department's Notification No.-1889, Dated-27.09.2019 should be deemed amended to this extent.
- For the aforesaid purpose, the deputed Officers be directed to execute above assignment in addition to their allotted work.
- This Notification will be effective with immediate effect.

(File No.- B/Vidhi-Court Gathan-19/2018-**105** /J)
By the order of Governor of Jharkhand

Sanjay Prasad,
Principal Secretary-cum-L.R.
Law Department, Jharkhand, Ranchi
